



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08072026-274255
CG-MH-E-08072026-274255

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 426]
No. 426]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2026/आषाढ 11, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2026/ASHADHA 11, 1948

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 24 जून, 2026

फा. सं. विवि.एलआईसी.सं.एस 2621/23.03.027/2026-27.— भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से निम्नलिखित को हटा दिया जाये :-

“कोओपरेटिव राबोबैंक यू.ए.”

आर लक्ष्मी कांत राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./195/2026-27]

RESERVE BANK OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 24th June, 2026

F. No. DOR.LIC.No.S2621/23.03.027/2026-27.—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the exclusion from the Second Schedule to the said Act of the following:

“Coöperatieve Rabobank U.A.”

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./195/2026-27]